न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या —103 / 2017 अपील (RCMS/2017/00090)
पंजीयन दिनांक —01.08.2017
निर्णय दिनांक —05.02.2019

1. श्रीमती राजूबाई पत्नि दोलाजी गुर्जर, निवासी फौजा बा का कुंआ, लोपड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर।

—अपीलान्ट

बनाम

1. मृतक मु. प्यारी पत्नि श्री चुनिया भाट, निवासी बीडघास, तहसील मावली।
2. श्री शम्भु पिता श्री चुनिया भाट, निवासी बीडघास, तहसील मावली।
3. श्री शान्तिलाल पिता श्री चुनिया भाट, निवासी बीडघास, तहसील मावली।
4. श्री कैलाश पिता श्री चुनिया भाट, निवासी बीडघास, तहसील मावली।
5. श्री ओमप्रकाश पिता श्री चुनिया भाट, निवासी बीडघास, तहसील मावली।
6. श्रीमती संतोष पिता श्री चुनिया भाट, निवासी बीडघास, तहसील मावली।
7. श्रीमती कमला श्री चुनिया भाट, निवासी बीडघास, तहसील मावली।
8. सरपंच ग्राम पंचायत लोपडा, पंचायत समिति मावली, जिला उदयपुर।

—रेस्पोडेन्टस्

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थितिः—
1. श्री खेमराज डांगी — वकील अपीलान्ट
2. श्री कल्पित जैन — वकील रेस्पोडेंट संख्या—2 से 5

अपील अर्न्तगत धारा—76 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, मावली, प्रकरण संख्या 16 / 2016 दिनांक 16.05.2017

निर्णय

दिनांक 05.02.2019

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अर्न्तगत धारा–76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, मावली, प्रकरण संख्या 16/2016 दिनांक 16.05.2017 के विरुद्ध पेश की गई है।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है किरेस्पोडेंट संख्या–1 से 7 द्वारा ग्राम पंचायत लोपड़ा द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 520 दिनांक 21.07.2015 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, मावली समक्ष अपील प्रस्तुत कर कथन किया गया कि उनके द्वारा उनके 1/4 हिस्से में से केवल 6 बीघा का ही रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से बेचान किया गया परन्तु ग्राम पंचायत लोपड़ा उनके पुरे 1/4 हिस्से का नामान्तरकरण अपीलान्ट श्रीमती राजूबाई के नाम स्वीकृत कर दिया जिसे निरस्त कर रेस्पोडेंट संख्या–1 से 7 के नाम सवा सोलह बिस्वा जमीन एवं अपीलान्ट श्रीमती राजूबाई के नाम विक्रय पत्र के आधार पर 6 बीघा जमीन राजस्व रेकर्ड में अंकन किया जावें।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, मावली द्वारा पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान, 2017 कैम्प लोपड़ा में रख अपील अपीलान्ट आशिंक रूप से स्वीकार कर ग्राम पंचायत लोपड़ा का नामान्तरकरण संख्या 520 दिनांक 21.07.2005 को निरस्त किया एवं प्रकरण तहसीलदार, मावली को प्रतिप्रेषित कर आदेशित किया कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर जांच की जाकर नामान्तरकरण पारित करें।

उक्त निर्णय से क्षुब्ध होकर अपीलान्टस् द्वारा यह अपील पेश की गयी है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। वकील अपीलान्ट एवं वकील रेस्पोडेंट संख्या–2 से 5 उपस्थित। दीगर रेस्पाडेंटस् की ओर से कोई उपस्थित नहीं। उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 22.01.2019 को सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात पर गौर नहीं किया कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट संख्या–1 से 7 द्वारा जो अपील प्रस्तुत की गई है वह ग्राम पंचायत लोपड़ा के नामान्तरकरण संख्या–520 दिनांक 21.07.2005 के विरूद्ध तारिख 21.12.2016 को प्रस्तुत की गई जो 11 वर्ष से भी अधिक समय के विलम्ब से प्रस्तुत की गई जिसके मयाद कण्डोन का कोई पर्याप्त कारण नहीं है तथा रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत किए गये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 मयाद अधिनियम पर सुनकर उचित आदेश पारित करना चाहिए और अपील मयाद बाहर होने

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

से इसी बिन्दु पर निरस्त कर देना चाहिए था, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने धारा–5 अवधि अधिनियम के प्रार्थना पत्र को तय किए बिना ही कथित निर्णय पारित कर दिया जो विधि के प्रावधान के विपरित है। अधीनस्थ न्यायालय को चाहिये था कि सर्वप्रथम अपील के मयाद के बिन्दू को निर्णित किया जाता व विलम्ब के समय को कण्डोन किए जाने पर ही अपील को गुण दोषों पर निर्णित की जाती, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसा नहीं कर कथित निर्णय पारित किया जो निरस्त किये जाने योग्य है। अपने कथन के समर्थन में विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा निम्नांकित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के कथित निर्णय को अपास्त कर नामान्तरकरण संख्या 520 बहाल रखे जाने का अनुरोध किया–RBJ(16)2009 P.786, RRT 2018(2) P. 1154.

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट् संख्या–2 से 5 ने अपनी बहस में बताया कि कुलिया जमीन 27 बीघा 5 विस्वा थी जिसमें रेस्पोडेंट संख्या–1 से 7 का 1/4 हिस्सा यानि 6 बीघा सवा सोलह बिस्वा होता है। उक्त हिस्से में से उनके द्वारा 6 बीघा जमीन अपीलान्ट श्रीमती राजूबाई को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विक्रय की और सवा सोलह बिस्वा जमीन उनकी शेष रहती है। उक्त जमीन पर कब्जा आज भी उनका ही चला आ रहा है। अपीलान्ट श्रीमती राजूबाई का केवल 6 बीघा पर ही कब्जा है। परन्तु वक्त नामान्तकरण स्वीकृति रेस्पोडेटस् का पुरा 1/4 हिस्सा अपीलान्ट के नाम दर्ज कर दिया गया और रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को सही तरिके से नहीं देखा गया। उक्त नामान्तरकरण को निरस्त किया जाना आवश्यक था। रेस्पोडेंटस् को इसकी जानकारी दिनांक 29.11.2016 को हुई जब उन्होनें इन्तकाल की नकल प्राप्त की और जानकारी होते ही अपील पेश की। अपील में हुई देरी माफी के लिए अधीनस्थ न्यायालय में धारा–5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र एवं अपील के तथ्यों एवं दस्तावेजों का अवलोकन व परिक्षण कर उक्त नामान्तकरण को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार, मावली को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर जांच कर नामान्तकरण स्वीकृत करने हेतु प्रतिप्रेषित किया। उक्त निर्णय पूर्णतया विधि सम्मत होने से अपील अपीलान्ट निरस्त फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावें।

हमने उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। वकील अपीलान्ट द्वारा अपने कथन में कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट संख्या–1 से 7 द्वारा जो अपील प्रस्तुत की गई है वह 11 वर्ष से भी अधिक समय के विलम्ब से प्रस्तुत की गई जिसके मयाद कण्डोन का कोई पर्याप्त कारण नहीं है तथा रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत किए गये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 मयाद अधिनियम पर सुनकर उचित आदेश पारित करना चाहिए और अपील मयाद बाहर होने से इसी बिन्दु पर निरस्त कर देना चाहिए था, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने धारा–5

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अवधि अधिनियम के प्रार्थना पत्र को तय किए बिना ही कथित निर्णय पारित कर दिया जो विधि के प्रावधान के विपरित है। वकील रेस्पोडेंट संख्या–2 से 5 ने कथन किए कि कुलिया जमीन में रेस्पोडेंट संख्या–1 से 7 का 1/4 हिस्सा यानि 6 बीघा सवा सोलह बिस्वा होता है। उक्त हिस्से में से उनके द्वारा 6 बीघा जमीन अपीलान्ट श्रीमती राजूबाई को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विक्रय की और सवा सोलह बिस्वा जमीन उनकी शेष रहती है। परन्तु वक्त नामान्तकरण स्वीकृति रेस्पोडेटस् का पुरा 1/4 हिस्सा अपीलान्ट के नाम दर्ज कर दिया गया और रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को सही तरिके से नहीं देखा गया। उक्त परिस्थितियों से प्रकरण में विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न होती है। इन तथ्यों पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्ण रूप से विचार, विश्लेषण एवं परिक्षण किया जाना प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन कर, सभी पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देते हुए प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, मावली का निर्णय दिनांक 16.05.2017 निरस्त किया जाता है। प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, मावली को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में सभी पक्षकारों को उचित एवं पर्याप्त सूनवाई का अवसर प्रदान कर, दस्तावेजों का परिक्षण कर एवं तथ्यों की जांच करा नियमानुसार नये सिरे से निर्णय पारित करें।

निर्णय दिनांक 05.02.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official